न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के समक्ष

बनवारी, -याचिका कर्ता

बनाम

नागिना, -उत्तर दाता

सिविल निगरानी संख्या 4287 सन *1997*

6 फरवरी, 1998

सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908*-आदेश *18* नियम *2*- इसे आदेश *18* नियम *17-A,* सी. पी. सी. के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी पक्ष को अतिरिक्त साक्ष्य दाखिल करने की अनुमति तब दी जा सकती है जब इस तरह की अनुमति प्राप्त करने वाला पक्ष प्रारंभिक चरण में उचित परिश्रम करने के बाद भी साक्ष्य का नेतृत्व करने में विफल रहा था और ऐसी अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण था।प्राथमिक अंतर उचित परिश्रम के बावजूद पेश करने में सक्षम नहीं होना और साक्ष्य दाखिल करने के अधित्याग के मध्य है। 'अधित्याग' एक जानबूझकर किया गया कार्य है या एक ऐसा कार्य जिसका अभिलेख से यथोचित अर्थ लगाया जा सकता है कि पक्षकार जानबूझकर वह सबूत देने में विफल रहा जो उसके पास होना चाहिए था। इस तथ्य में भी कोई संदेह नहीं है कि आदेश 18 नियम 2 सी. पी. सी. को आदेश 18 नियम 17-ए सी०पी०सी के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

(पैरा 4)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 18 नियम 17-ए - वाद वादी द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के खण्डन को दर्ज करने के लिए निर्धारित किया गया - वादी पिछले मुकदमे में दायर प्रतिवाद पत्र पर अपने दावे को आधार देता है जहां उसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया था - यदि वादी को अतिरिक्त साक्ष्य देने की अनुमति दी जाती है तो यह किसी भी पक्ष के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगा।

अभिनिर्धारित किया कि वाद प्रतिवाद में वादी के साक्ष्य को दर्ज करने के लिए नियत किया गया है। पिछले मुकदमे के अभिलेख को प्रस्तुत करने के बाद, प्रतिवादी ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया और यदि वादी खंडन में अपने भार का निर्वहन करना चाहता है, तो उसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। 31 मार्च, 1993 के आदेश पत्र में दर्ज विद्वान पीठासीन अधिकारी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हस्तलेखन विशेषज्ञ की परीक्षा वर्तमान मुकदमे का अप्रभावी और पूर्ण निर्णय मान ली जाएगी। पक्षकार पिछले मुकदमे में पारित डिक्री के संबंध में विवाद पर हैं। वर्तमान मुकदमे में वादी और प्रतिवादी ने पिछले मुकदमे में पास डिक्री को इस आधार पर चुनौती दी है, कि उसका अधिकार पिछले मुकदमे के प्रतिवाद पत्र में स्वीकार किया गया था। यदि वादी को अतिरिक्त साक्ष्य देने की अनुमति दी जाती है तो यह निष्पक्षता में होगा और यह किसी भी पक्ष के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगा। वादी एक ऐसा मामला स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहा है जिसका उसने अनुरोध नहीं किया था।

(पैरा 8)

विक्रम सिंह , याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता

यू. के. अग्निहोत्री, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता

निर्णय

स्वतंत्र कुमार, जे.

(1) इस सिविल निगरानी में 16 सितंबर, 1997 के आदेश का विरोध करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रही है, जो अभिलेख के आंकलन से स्पष्ट है, परिणामस्वरूप आदेश को रद्द किये जाने योग्य है।

(2) *16* सितंबर, 1997 के आदेश के अनुसार, विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी/याचिकाकर्ता को अतिरिक्त साक्ष्य देने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। मेरे समक्ष पक्षकारों की ओर से उठाई गई संबंधित दलीलों के परिशीलन करने के लिए व इस याचिका के निर्णय के लिए आवश्यक न्यूनतम तथ्यों का उल्लेख करना उचित होगा।

(3) वादी ने दीवानी मुकदमा संख्या 1033 सन 1990 यह घोषणा करने के लिए दायर किया था कि 25 अक्टूबर, 1985 का निर्णय और डिक्री अप्रभावी और बाध्यकारी नहीं थे। प्रतिवादी ने उपरोक्त मुकदमे का विरोध किया। प्रतिवादी ने यह तर्क लिया है कि नगीना बनाम मनभरी शीर्षक वाले पूर्व मुकदमे यानी मुकदमा संख्या *531* में उनके दावे को स्वीकृत किया गया था और लिखित बयान पर मनभरी के अंगूठे का निशान था। जब 7 अप्रैल, 1997 को अतिरिक्त साक्ष्य देने की अनुमति के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया गया था, तब वर्तमान मामले में वाद बिन्दु विरचित किये जा चूके थे और मामले को खंडन साक्ष्य के लिए निर्धारित किया गया था। यह कथन किया गया कि मुकदमा संख्या 531 की पत्रावली प्रतिवादी द्वारा तलब की गई थी और प्रतिवादी ने पहले उस मुकदमे में बयान पर तय किए गए अंगूठे के निशान की चित्र लेने के लिए अनुमति के साथ हस्तलेखन विशेषज्ञ को तलब करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। आवेदन स्वीकृत हुआ और चित्र लिये गये। लेकिन बाद में प्रतिवादी ने हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच करने का विचार छोड़ दिया। हालांकि, मामले के आदेश पत्रों में, विद्वान पीठासीन अधिकारी ने आदेश दिनांकित 31 मार्च, 1993 के द्वारा यह दर्ज किया था कि अंगूठे के छापों का अति-अधिरोपण है।यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि किसी भी विशेषज्ञ की परीक्षण या प्रतिपरीक्षण नहीं की गई थी। चूँकि प्रतिवादी ने विशेषज्ञ की जाँच करने का विचार छोड़ दिया था, वादी अपने खंडन साक्ष्य के द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए एक विशेषज्ञ का परीक्षण करना चाहता था। इस प्रकार, वर्तमान आवेदन उनके द्वारा दायर किया गया था।आवेदन के जवाब में, मुकदमे में प्रतिवादी ने इस तथ्य पर कोई आपत्ति नहीं की। हालाँकि, प्रतिवादी ने कहा कि पिछले मुकदमे में उसके अधिकारों का निर्णय अनुकूल रूप से किया गया था।

(4) उपरोक्त आक्षेप से यह तथ्य स्पष्ट रूप से अभिलेख पर दिखाई देते हैं कि वाद वादी द्वारा खंडन साक्ष्य दाखिल

करने हेतु लंबित था और वाद के अभिलेखों को बाद में प्रतिवादी ने विशेषज्ञ से जाँच कराने के लिये साक्ष्य के दौरान तलब किया था, अंततः वह हस्तलेखन विशेषज्ञ की जांच करने में विफल रहा और न्यायालय ने 31 मार्च, 1993 को अपने आदेश पत्र में अंगूठे की छाप अधिरोपित होने के संबंध में कुछ टिप्पणी की थी। यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्ष को अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति तब दी जा सकती है जब इस तरह की अनुमति प्राप्त करने वाला पक्ष प्रारंभिक चरण में उचित परिश्रम करने के बाद भी साक्ष्य का नेतृत्व करने में विफल रहा था और ऐसी अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण था।प्राथमिक अंतर उचित परिश्रम के बावजूद पेश करने में सक्षम नहीं होना और साक्ष्य दाखिल करने के अधित्याग के मध्य है। 'अधित्याग' एक जानबूझकर किया गया कार्य है या एक ऐसा कार्य जिसका अभिलेख से यथोचित अर्थ लगाया जा सकता है कि पक्षकार जानबूझकर वह सबूत देने में विफल रहा जो उसके पास होना चाहिए था। इस तथ्य में भी कोई संदेह नहीं है कि आदेश 18 नियम 2 सी. पी. सी. को आदेश 18 नियम 17-ए सी०पी०सी के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इन दो नियमों के पीछे विधायी इरादा यह है कि पार्टी को उन सभी मुद्दों पर साक्ष्य का नेतृत्व करना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी उस दिनांक पर न्यायालय द्वारा तय की गयी हो। आदेश 18 के नियम 2 के उप-नियम 4 भी न्यायालय को किसी भी स्तर पर किसी भी गवाह का लिखित रूप में कारण दर्ज कर परीक्षण करने की अनुमति देने की शक्ति प्रदान करता है। यह नियम वर्ष 1976 में सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन द्वारा पेश किया गया था और उसी संशोधन द्वारा नियम 17 ए भी पेश किया गया था। इन संशोधनों का उद्देश्य मुकदमे के किसी भी चरण में अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति देने के लिए न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार देना है। विवेक का प्रयोग कानून के सुस्थापित सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए , मूल आवश्यकता मुकदमे की विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच संहिता के किसी भी प्रावधान को आहत किए बिना और गैर-आवेदक पर आवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाए बिना पूर्ण और प्रभावी निर्णय लाने की होनी चाहिए। संशोधन से पूर्व आदेश 18 नियम 17 न्यायालय को पहले से ही परीक्षित साक्ष्यों को पुनः बुलाने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता था, लेकिन संशोधन के माध्यम से इन दो प्रावधानों को जोड़ने की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि यदि किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियां न्याय की मांग करती हैं तो आवेदक को कोई लाभ न मिले ।

(5) वर्तमान मामले में, वाद खण्डन साक्ष्य के लिए नियत था, प्रतिवादी ने यह तर्क लिया था कि पिछले मुकदमे में मनभरी द्वारा दायर प्रतिवाद पत्र में दावा उसके पक्ष में स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार की स्वीकृति को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह साबित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी वादी पर है कि पिछले मुकदमे में डिक्री अमान्य, अवैध और दरकिनार किए जाने योग्य थी। वादी ने सकारात्मकता के अनुसार अपना साक्ष्य बंद कर दिया था और अदालत ने मुद्दों की जिम्मेदारी के अनुसार वादी को खंडन में साक्ष्य देने का अवसर दिया था। यह निष्कर्ष निकालना कठिन होगा कि यह छूट का मामला है और वादी ने समयक उद्यम के सिद्धांत की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए यह किया था। न्यायालय को अपनी न्यायिक चेतना को एक ओर आदेश 18 नियम 2 (4) और दूसरी ओर आदेश 18 नियम 17 ए के विलय के उतपन्न दोहरे सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट करने की आवश्यकता है। कौर राम बनाम गोबिंद राम और अन्य[1] के मामले में, इस न्यायालय की पीठ ने इस तथ्य के बावजूद कि पक्ष ने पहले ही साक्ष्य को बंद कर दिया था और बहुत ही मध्यस्थता समझौते को चुनौती दी गई थी और आवेदक बिना किसी औचित्य के उक्त आदेश को पहले पेश करने में विफल रहा था, मध्यस्थता अधिनियम के तहत आवेदन पर एक आदेश को अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से पेश करने की अनुमति दी। फिर भी एक अन्य मामले में जिसका शीर्षक वेस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाम मेसर्स चांद रेडियो और अन्य[2] है, जहां बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज पेश किए गए जिन्हें अधिक देखने के कारण प्रदर्शित नहीं किया गया था, अदालत ने यह माना कि वकील के द्वारा की गई गलती को पक्ष के हित के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रक्रिया के नियम न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए थे, इसलिए उस मामले में भी अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दी गई थी।

(6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम श्रीमती कैलाशवती देवी[3] में अतिरिक्त साक्ष्य की अवधारणा को व्यापक आयाम दिया गया है, जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आदेश 41 सी. पी. सी. के नियम 27 (ए. ए.) के अनुसार यदि आवेदक नियम की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है और यहां तक कि आवेदक द्वारा परीक्षण स्तर पर कोई साक्ष्य भी नहीं दिया गया है, तब अपीलीय स्तर पर भी अतिरिक्त साक्ष्य दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है। उस मामले में वाद में प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय डिक्री पारित की गई थी व उसकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष योजित की गई थी जिसमे दो दस्तावेज दायर करने की मांग की गई थी। ये दस्तावेज वाद संपत्ति के कब्जे से संबंधित थे तथा प्रतिवादी के कब्जे में थे। उच्च न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी थी।

(7) विषय को नियंत्रित करने वाले उपरोक्त सुव्यवस्थित प्रावधानों का संचयी प्रभाव यह है कि न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों और आवेदक की गलती की सीमा के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए अपनी अधिकारिता का प्रयोग करना पड़ता है। आदेश 18 नियम 2 के उप-नियम 4 के तहत न्यायालय को दी गई शक्तियों को उसी आदेश के नियम 17 ए के प्रावधानों को पढ़कर कम नहीं किया जा सकता है।इन दोनों प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा और समझा जाना चाहिए ताकि न्याय की प्राप्ति हो सके और किसी मुकदमे या कार्यवाही में पक्षों द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों के प्रभावी और पूर्ण निर्णय के लिए सहायक हो सके। प्रक्रियात्मक कानून को विफल करने के बजाय न्याय को सुचारू करने के लिए उपयोग मे लाना चाहिए। समयक उद्यम के पश्चात भी दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना इस तरह के आवेदन के लिए उचित आधार प्रतीत होता है। इस शर्त के अनुपालन को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में और न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड के अनुरूप देखा जाना चाहिए। समयक उद्यम के अभ्यास को व्यापक और सार्थक अर्थ देना होगा जो कानून के मूल नियम के अनुरूप होना चाहिए। कुछ मामलों में किसी पक्ष या वकील की लापरवाही का वास्तव में प्रभाव नहीं पड़ सकता है या इस तरह के आवेदन को असमर्थनीय नहीं बना सकता है। इस दृष्टिकोण को जयपुर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले से समर्थन मिलता है।

(8) वाद वादी के खण्डन साक्ष्य को दर्ज करने के लिए तय किया गया है। पिछले वाद के अभिलेख को प्रस्तुत करने के पश्चात, प्रतिवादी ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया और यदि वादी खंडन में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहता है, तो इसे पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हस्ताक्षर विशेषज्ञ का परीक्षण, विशेष रूप से 31 मार्च, 1993 के आदेश पत्र में दर्ज विद्वान पीठासीन अधिकारी की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मुकदमे के प्रभावी और पूर्ण निर्णय में सहायक होगा। दोनों पक्ष पिछले मुकदमे में पारित डिक्री के संबंध में मुद्दों पर हैं। वादी और प्रतिवादी ने पिछले मुकदमे में दायर प्रतिवादपत्र, जहां उसका अधिकार स्वीकार किया गया था, पर अपना दावा करते हुये है उसमें पास डिक्री को चुनौती दी है। यदि वादी को अतिरिक्त साक्ष्य देने की अनुमति दी जाती है तो यह निष्पक्षता में होगा और यह किसी भी पक्ष के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगा। वादी एक ऐसा मामला स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहा है जिसका उसने अनुरोध नहीं किया था।

---

1 ए. आई. आर. 1980 पंजाब 160

2 1988 पी. एल. जे 79

3 जे. टी 1997 (7) एस. सी. 643

(9) उपरोक्त कारणों से मेरा यह मानना है कि विद्वान विचारण न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है। इस तरह की त्रुटि अभिलेख के देखने मात्र से ही स्पष्ट होज जाती है। अतः आदेश दिनांकित 16 सितंबर, 1997 को रद्द किया जाता है। वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दायर अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि पर खंडन में साक्ष्य का नेतृत्व करेगा। अनावश्यक विलंब को रोकने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि वादी को कोई अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा। पुनरीक्षण याचिका स्वीकृत की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

जे एस टी

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

परीक्षित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
महम, रोहतक,हरियाणा